न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/3949/2005/टोंक

1– चैनसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी सीतारामपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।

------ अपीलांट

बनाम

1– रोडू पुत्र बालू जाति बैरवा निवासी सीतारामपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक हाल निवासी राजपुरा बास पचेवर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।
2– सीताराम पुत्र नाथूराम जाति बलाई, निवासी महापुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3– सीताराम पुत्र प्रभूनारायण जाति बैरवा, निवासी दौलतपुरा, तहसील कलवाड, जिला जयपुर।

------ रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री योगेन्द्रसिंह, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री नरेश कुमार जैन, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट।

निर्णय **दिनांक :– 06.02.2023**

यह अपील धारा 224, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा अपील संख्या 64/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–07–2005 बउनवानी चैनसिंह बनाम रोडू के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने विद्वान परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के समक्ष एक वाद बाबत् इस्तकरारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद में अंकित वादग्रस्त

आराजी का प्रस्तुत करते हुए दावा वादी डिक्री किया जाकर विवादित आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करने का निवेदन किया गया। वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी को तलब किया गया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर वाद वादी खारिज करने का अनुरोध किया। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने दावे, जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम कर उनका विस्तृत विवेचन कर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–01–2004 से दावा वादी खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री से क्षुब्ध होकर अपीलांट ने विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसे विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–07–2005 से अपील अपीलांट खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 30–01–2004 यथावत रखा गया, इसी निर्णय व डिक्री दिनांक 30–07–2005 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3– अपील पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4– अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विद्वान दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से चला आ रहा है तथा गलत रूप से विवादग्रस्त आराजी रेस्पो0 के पिता के नाम दर्ज कर दी गई जिसे वादी/अपीलांट दुरूस्त कराने का अधिकारी है। विद्वान परीक्षण न्यायालय में वादी/अपीलांट ने अपनी साक्ष्य से सभी तनकियों का सिद्व कर दिया। इसके बावजूद भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वादी/अपीलांट का वाद/अपील अस्वीकार कर दी। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री द्वारा वादी/अपीलांट का वाद तो साबित होना माना किन्तु वाद इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि प्रतिवादी एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, के नाम वादग्रस्त आराजी खातेदारी में दर्ज किये जाने से किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। वादी/अपीलांट

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व से वादग्रस्त आराजी पर काबिज चला आ रहा है। उसका वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर कब्जा होने के कारण अपीलांट/वादी कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार काश्तकार बन चुका है। विद्वान परीक्षण न्यायालय का निर्णय आदेश 20 नियम 4(2) व आदेश 20 नियम 5 के अनुसार नहीं है एवं विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय भी आदेश 41 नियम 31 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान अपीलीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 30-7-2005 एवं विद्वान परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 30-01-2004 निरस्त फरमाये जाकर वाद वादी/अपीलांट विरूद्ध रेस्पोडेन्ट डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 2007 आर0आर0टी0 पेज 39, 2008 आर0एल0डब्ल्यू0 पेज 1192, 1067 एवं 2007 आर0आर0टी0 पेज 1067 के उद्धरण प्रस्तुत किये।

5- प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि सम्वत् 2012 का कोई दस्तावेज नहीं है। दिनांक 01-07-1959 की लिखावट खातेदार बालू वल्द मानू चमार ने लिखी जो उसको लिखने का अधिकार नहीं था। लगान रसीद सम्वत् 2020 के बाद की है जिसमें हमारा नाम है। खसरा गिरदावरी खातेदार के कॉलम में हमारा नाम है। धारा 42 का उल्लंघन है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय हैं जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

6- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

7- विद्वान परीक्षण उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30-01-2004 से उक्त आराजीयात के खातेदार एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जिसके खातेदारी अधिकार समाप्त कर वादी जो कि एक सवर्ण जाति का व्यक्ति हैं, को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। अतः दावा वादी खारिज किया जाता है।

8– विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–07–2005 से अपील अपीलांट खारिज करते हुए विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30–01–2004 यथावत रखी है।

9– पत्रावली में संलग्न ई.एक्स–1 नकल जमाबन्दी ग्राम सीतारामपुरा सम्वत् 2055–2058 में खसरा नं0 721/8 रकबा 9–07 तथा 728 रकबा 2–17 बिस्वा बालू पुत्र मान्या कौम चमार सा0देह खातेदार दर्ज है। नकल नामान्तरकरण ई.एक्स–43 में बालू पुत्र मान्या कौम चमार के फौत होने पर उनके पुत्र रोडू पुत्र बालू कौम बैरवा के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा ने अपने निर्णय दिनांक 30–01–2004 में तनकी नं0 1 व 2 में वादी का कब्जा काश्त होना लिखा है लेकिन वादी द्वारा पेश नकल ई.एक्स–43 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2031 में खसरा नं0 728 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा पर नाराणसिंह की काश्त दर्ज है। अन्य पेश खसरा गिरदावरियों में विवादित आराजीयात पर वादी की काश्त ही दर्ज नहीं है। चकबंदी संबंधी कोई दस्तावेज ही संलग्न नहीं है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने तनकी नं0 3 व 4 के विवेचन में अंकित किया है कि आराजीयात मुतदाविया पर वादी का कब्जा मुखालफाना होने से वह खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है जबकि राजस्थान काश्तकारी कानून, 1955 में कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।

10– विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि आराजीयात मुतदाविया प्रति0 जो कि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, के नाम खातेदारी में दर्ज है जिसे किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात उक्त आराजीयात का खातेदार एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जिसके खातेदारी अधिकार समाप्त कर वादी जो कि एक सवर्ण जाति का व्यक्ति है, को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। अतः दावा वादी खारिज किया जाता है।

11– अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा द्वारा वादी का दावा विधिसम्मत रूप से खारिज किया गया है।

विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30–07–2005 में अंकित किया है कि विवादित भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति से संबंधित है जो किसी भी प्रकार से सवर्ण जाति के व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जा सकती है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने विस्तृत विवेचन कर अपील अपीलांट खारिज की है, जो पूर्णतया उचित है।

12– दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निर्णय हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किये जाने का विधिक आधार नहीं है।

13– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं।

14– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–07–2005 तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 30–01–2004 बदस्तुर बहाल रखें जाते हैं।

15– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी) **(राजेश्वर सिंह)**

सदस्य **अध्यक्ष**